

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संख्या - 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप)-नालंदा-21/2022.1683 पटना, दिनांक: 21/02/2023

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक 771-11 दिनांक 08.09.2022 द्वारा सुश्री उर्वशी कुमारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN01171) के विरुद्ध धीमी गति से कार्य करने, कार्यालय विलंब से आने एवं अमीन डायरी में अधूरी प्रविष्टि करने का आरोप प्रतिवेदित करते हुए आरोप पत्र गठित कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है।

प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय के पत्रांक 2624 दिनांक 23.09.2022 द्वारा आरोपित से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित द्वारा अपना स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि में समर्पित किया गया है।

आरोपित से प्राप्त स्पष्टीकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत पाया कि आरोपित द्वारा इनपर लगाए गए आरोप के संदर्भ में समर्पित स्पष्टीकरण के साथ साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, परन्तु इनके द्वारा अपना कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया है।

अतः आरोपित द्वारा दिए गए आश्वासन के दृष्टिगत तत्काल सुश्री उर्वशी कुमारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN01171) का 01(एक) माह के मानदेय की कटौती की जाती है। यदि इसकी पुनरावृत्ति भविष्य में की जाएगी, तो इनका संविदा नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा।

(जय सिंह)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप)-नालंदा-21/2022.1683 पटना, दिनांक : 21/02/2023

प्रतिलिपि :- सुश्री उर्वशी कुमारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN01171), बंदोबस्त कार्यालय, नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप)-नालंदा-21/2022.1683 पटना, दिनांक :- 21/02/2023

प्रतिलिपि :- बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप)-नालंदा-21/2022.1683 पटना, दिनांक :- 21/02/2023

प्रतिलिपि :- श्रीमती सरीता कुमारी, प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण